दिनांक	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला। **ऑर्डर–शीट** **सरकार बनाम राजीव कुमार वगैरह** **फौजदारी मूल प्रकरण संख्या 467/14 (1710/14)**	विवरण
14.10.2025	अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्तगण राजीव कुमार रंजन, पिंकी बर जमानत अनुपस्थित जिनकी आज की हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता पेश हुआ जो सुना जाकर आज हेतु स्वीकार किया जाता है, शामिल पत्रावली रहे। अन्य अभियुक्त महेंद्र की जमानत जब्त है जिसका जारीसुदा गिरफ्तारी वारंट लौटकर प्राप्त नहीं हुआ है, इस संबंध में पुलिस आयुक्त जोधुपर महानगर को पूर्व में जारीसुदा गिरफ्तारी वारंट का हवाला देते हुए डी/ओ लेटर जारी किया जावें जिसमें यह नोट अंकित किया जावें कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त महेंद्र को जरिए गिरफ्तारी वारंट से कई बार तलब किया जा चुका है लेकिन अभियुक्त के वारंट लौटकर प्राप्त नहीं हो रहे है और ना ही तामील सुनिश्चित की जा रही है। अतः इस संबंध में संबंधित थानाधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया जाकर वारंट की तामील सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें व इसकी सूचना इस न्यायालय को भी करें। अभियुक्त महेंद्र को जरिए गिरफ्तारी वारंट से पुनः तलब किया जावें वारंट की तामील पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावें कि प्रकरण पुराना है तथा वर्ष 2013 से लंबित होने के साथ ही न्यायालय के लक्षित प्रकरणों की सूची में शामिल है अतः वारंट की तामील असाल्तन विशेष वाहक कि नियुक्ति द्वारा करवाई जावें। गिरफ्तारी वारंट अदम तामील की सूरत में तामील कुनिंदा अभियुक्त की चल–अचल संपत्ति सूची के साथ साक्ष्य–मफरूरी हेतु हाजिर अदालत आवें। पत्रावली वास्ते हाजिरी मुल्जिम के दिनांक 04.11.2025 को पेश हो। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला	